न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 28/2015

श्री रामप्रसाद पुत्र श्री किशना पौत्र श्री बिरदा जाति तेली निवासी ग्राम बुधवाड़ा हाल निवासी तेलीवाड़ा ग्राम व तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बुधवाड़ा जरिये सरपंच पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री किशना पौत्र श्री बिरदा जाति तेली निवासी ग्राम बुधवाड़ा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996

उपस्थित :–

श्री एन.एस. राजावत वकील प्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 08.03.2017

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत बुधवाड़ा पंचायत समिति पीसांगन द्वारा ग्राम बुधवाड़ा स्थित आबादी भूमि का विक्रय विलेख बाद विधिवत जांच के ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 5 बुक संख्या 23 पट्टा संख्या 31 दिनांक 20.01.2004 को नीलामी राशि रूपये 200/– प्राप्त कर श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री किशना जाति तेली निवासी ग्राम बुधवाड़ा के पक्ष में जारी कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी उक्त विक्रय विलेख को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए पट्टा निरस्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाने हेतु पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। पंचायत समिति पीसांगन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2316 दिनांक 31.01.2017 से ग्राम पंचायत बुधवाड़ा के रेकार्ड में पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं होने बाबत् इस न्यायालय को अवगत कराया तत्पश्चात् पत्रावली सुनवाई हेतु निश्चित की गई। सुनवाई हेतु निश्चित दिन वकील अप्रार्थी संख्या 2 के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं को ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम बुधवाड़ा के आबादी क्षेत्र में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 का एक आवासीय मकान अवस्थित है। उक्त मकान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता श्री किशना पुत्र श्री बिरदा द्वारा निर्मित करवाया गया था जिसमें श्री

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

किशना के समय से ही प्रार्थी व अन्य विधिक वारिस तथा अप्रार्थी संख्या 2 संयुक्त रूप से निवास करते चले आ रहे है। वकील प्रार्थी ने आगे कथन किया कि प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास पश्चात् उक्त आवासीय सम्पत्ति का मृतक के विधिक वारिसान प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य पुत्रों के मध्य आपसी सहमति के तहत हुए विभाजन के अनुसार पृथक–पृथक रूप से अपने हक व हिस्से की सम्पति में मय परिवार निवास करते हुए उसके उपयोग व उपभोग व आधिपत्य में चले आ रहे है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित आवासीय सम्पति किसी भी प्रकार से नीलामी योग्य मानते हेतु उपलब्ध नहीं थी। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आवासीय सम्पति को नीलामी योग्य मानते हुए तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को छिपा कर अप्रार्थी संख्या 1 से 200/– रूपये प्रतिफल राशि में नीलामी में क्रय किया जाना उल्लेखित कर आक्षेपित पट्टा निष्पादित करवा लिया जबकि विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवासीय सम्पति पैतृक होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही प्रथमदृष्टया अवैध व शून्य होकर आदेश एवं पट्टा विलेख काबिल निरस्तनीय है। उन्होंने आगे कथन किया कि उपरोक्त गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण रूप से निष्पादित आक्षेपीय आवासीय पट्टा विलेख को अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 07.02.2004 को उपपंजीयक पीसांगन के कार्यालय में पंजीबद्व करवा लिया गया जो कि वास्तविक तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से किसी प्रकार की जांच करवाने बिना तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी कर दिया है तथा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी को किसी प्रकार से सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा न ही भौतिक आधिपत्य बाबत् कोई जांच की गई। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे।

हमने वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय का वांछित रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पीसांगन द्वारा ग्राम पंचायत बुधवाड़ा में पट्टा की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं होने बाबत् जरिये पत्र अवगत करवाया है तथा वरवक्त बहस न तो अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुए तथा न ही उनके अभिभाषक ने उपस्थित होकर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करवाई है। अतः न्यायहित में निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बुधवाड़ा पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर द्वारा दिनांक 20.01.2004 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में स्वीकृत आबादी भूमि का विक्रय विलेख बुक संख्या 23 पट्टा संख्या 31 निरस्त किया जाकर निगरानी ग्राम पंचायत बुधवाड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे मूल पट्टा पत्रावली तलाश कर उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 08.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner